[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 20th May, 2003]

638

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 20th May, 2003

No. 13/31/2002-2T(I).—In exercise of the powers conferred by Sections 28, 38, 65, 93, 95, 96, 111, 138, 176 and Sub-section (3) of Section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), and all other powers enabling him in this behalf, and with reference to Haryana Government, Transport Department, notification No. 13/31/2002-6T (II), dated the 16th August, 2002, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2003.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, in rule 33A, —

(A) in sub-rule (1),—

(i) in the end, for the sign " . ", the sign " : " shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the preferential numbers for non-transport vehicles shall be allotted only to Haryana Government/Central Government vehicles and to vehicles owned by individuals. Thus, these numbers shall not be allotted to non-transport vehicles owned by firms, companies, institutions etc. " ;

(B) in sub-rule (3),—

(i) in the end, for the sign " . ", the sign " : " shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that it would be obligatory to surrender the preferential number allotted to a person when the vehicle is intended to be transferred to another person. Thus, at the time of transfer of vehicle to another person, the preferential number allotted to the transferor shall stand withdrawn automatically and in lieu of that preferential number, another registration number as decided by the Transport Commissioner, Haryana shall be allotted to the transferee and registration certificate issued accordingly. The number so withdrawn shall be utilised for allotment to future applicant in accordance with the procedure specified from time to time for allotment of preferential numbers.".

R. N. PRASHER,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

35992—C.S.—H.G.P., Chd.

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 मई, 2003

संख्या का0 आ0 13/31/2002-2T(I).—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 28, 38, 65, 93, 95, 96, 111, 138, 176 और धारा 213 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/31/2002-6 परि0 (II) , दिनांक 16 अगस्त, 2002, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2003, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 में, नियम 33क में,—

(क) उप-नियम (1) में,—

(i) अन्त में, "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न रखा जाएगा; और

(ii) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु, गैर-परिवहन वाहनो के लिए अधिमान्य संख्याएं केवल हरियाणा सरकार/केन्द्रीय सरकार के वाहनों को तथा व्यक्तिगत के स्वामित्वाधीन वाहनों को आबंटित की जाएंगी। इस प्रकार ये संख्याएं फर्म, कम्पनी तथा संस्थाओं इत्यादि के स्वामित्वाधीन गैर-परिवहन वाहनों को आबंटित नहीं की जाएंगी।";

(ख) उप-नियम (3) में,—

(i) अन्त में, "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न रखा जाएगा ; और

(ii) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी व्यक्ति को आबंटित अधिमान्य संख्या, जब वाहन किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जाना आशियत है तब यह समर्पित करना बाध्यकर होगा। इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति को वाहन के अन्तरण के समय पर, अंतरक को आबंटित अधिमान्य संख्या अपने आप वापस ली गई समझी जाएगी तथा उस अधिमान्य संख्या के बदले में, अंतरिती को, परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा यथा विनिश्चित अन्य पंजीकरण संख्या आबंटित की जाएगी तथा तदनुसार पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रकार वापस ली गई संख्याएं, अधिमान्य संख्याओं के आबंटन के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भावी आवेदकों को आबंटन के लिए उपयोग की जाएंगी ।"।

आर0 एन0 पराशर,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

35992—C.S.—H.G.P., Chd.